

:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1029997

मंडला, दिनांक :-20/01/2022

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

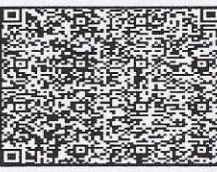
शैक्षणिक सत्र	:	2021-22	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीकरण प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	22	कुल राशि (रुपयें में)	:	110000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

शासकीय उपस्थिति मंत्रालय चोधरी
महिला शिक्षा एवं पदमोदा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला

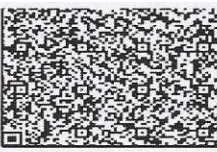


क्रमांक/गा.की.बे/1029997

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.

प्रचार्य
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1030117

मंडला , दिनांक :-20/01/2022

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि

स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

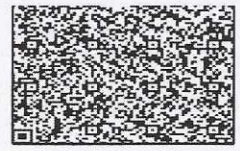
शैक्षणिक सत्र	:	2021-22	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीकरण प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	2	कुल राशि (रुपयें में)	:	10000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भूगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला भौतिकीय विभाग, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला

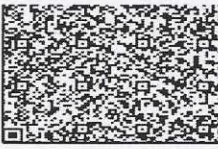


क्रमांक/गा.की.बे/1030117

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.


शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
मंडला जिला कोषालय, मंडला (म.प्र.)
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1030119

मंडला , दिनांक :-20/01/2022

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि

स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

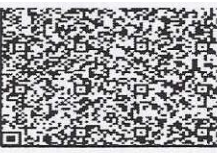
शैक्षणिक सत्र	:	2021-22	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीकरण प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	4	कुल राशि (रुपयें में)	:	20000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची।

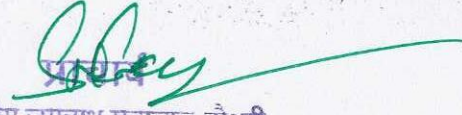
शासकीय जयराज मुन्नालाल चौ.
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
मंडला महिला विद्यालय, मंडला
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



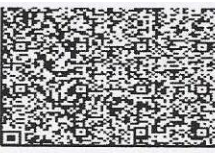
क्रमांक/गा.की.बे/1030119

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.


शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
महिला शिक्षा विभाग, मंडला (म.प्र.)
हस्ताक्षर एवं प्रदमुद्रा

स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: गाँव की बेटों योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1029995

मंडला , दिनांक :-20/01/2022

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटों योजना)

गाँव की बेटों योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि

स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा।

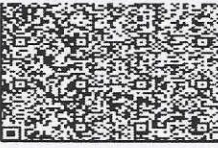
शैक्षणिक सत्र	:	2021-22	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	SC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीकरण प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	2	कुल राशि (रुपयें में)	:	10000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटों योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटों योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटों योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची !

शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला

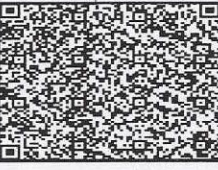


क्रमांक/गा.की.बे/1029995

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी
मंडला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: गाँव की बेंटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1029994

मंडला , दिनांक :-20/01/2022

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेंटी योजना)

गाँव की बेंटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि स्वीकृत की जा रही है। बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जाएगा।

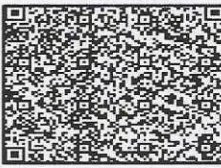
शैक्षणिक सत्र	:	2021-22	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	OBC	स्वीकृति प्रकार	:	नवीकरण प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	13	कुल राशि (रुपयें में)	:	65000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेंटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेंटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेंटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।


शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला

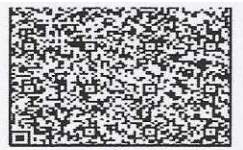


क्रमांक/गा.की.बे/1029994

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.


प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.)
स्वीकृतकता अधिकारी, जिला:-मंडला



:: गाँव की बेटी योजना का स्वीकृति आदेश ::

क्रमांक/गा.की.बे/1030120

मंडला , दिनांक :-20/01/2022

विषय :- मान्य प्रकरणों का स्वीकृति आदेश (गाँव की बेटी योजना)

गाँव की बेटी योजना के नवीन नियम 2016 के प्रावधानों एवं संबंधित संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों / जानकारी के आधार पर संलग्न सूची योजना के नियमानुसार पात्र छात्राओं को राशि

स्वीकृत की जा रही है | बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत राशि का भुगतान कोषालय के माध्यम से छात्राओं के खातों में ऑनलाइन किया जावेगा |

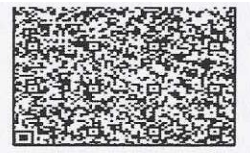
शैक्षणिक सत्र	:	2021-22	शिक्षण संस्था	:	Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla
वर्ग	:	ST	स्वीकृति प्रकार	:	नवीन प्रकरण
कुल लाभान्वित छात्राओं की संख्या	:	3	कुल राशि (रुपयें में)	:	15000

प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. यह स्वीकृति केवल गांव की निवासी छात्राओं हेतु की जा रही है एवं पात्र छात्राओं को सरपंच द्वारा गांव के निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
2. यह स्वीकृति गांव में रहकर गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों) में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को प्रदान की जा रही है।
3. छात्राओं द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किये जाने के तत्काल पश्चात् सत्र में उच्च शिक्षा संस्थान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया गया है
4. छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है।
5. छात्राओं को एक समय में गांव की बेटी योजना का ही लाभ दिया जा रहा है एवं प्रतिभा किरण योजना के लिये उक्त छात्राओं का आवेदन स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी गैर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्राओं को गांव की बेटी योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
7. यह स्वीकृति हेतु छात्राओं द्वारा गांव की बेटी योजना के शासकीय नियमावली की सम्पूर्ण पात्रता शर्तों को पूर्ण किया जा रहा है।
8. छात्राओं द्वारा अभिलेखों की पूर्ति न किये जाने की परिस्थिति में स्वीकृति रद्द की जायेगी तथा भुगतान की जा चुकी राशि को छात्राओं से वसूला जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सूची ।

शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा चौधरी
महिला महाविद्यालय, मण्डला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला-मंडला



क्रमांक/गा.की.वे/1030120

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, संभाग म.प्र.
4. जिला कोषालय अधिकारी म.प्र. जिला - मंडला
5. संबंधित प्राचार्य, Govt Jagannath Chaudhari Girls College, Mandla, जिला - मंडला , म.प्र.

प्राचार्य
शासकीय जगन्नाथ चौधरी
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
स्वीकृतकर्ता अधिकारी, जिला:-मंडला